न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 320/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/473
दायर दिनांक :– 29.11.2024 निर्णय दिनांक :– 16.07.2025

1. पवन कंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी खेतूसर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. इलमदीन पुत्र हाजीखां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. कविता कंवर पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी देणोक तह. आउ जिला फलोदी
3. निजाम पुत्र सुभानखां जाति मुसमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. भैरूसिंह पुत्र खिवसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
5. भंवरसिंह पुत्र खिवसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
6. भोपालसिंह पुत्र खिवसिंह जाति राजपूत निवासी खेतुसर तहसील बाप जिला फलोदी
7. रेमत पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. हिदायतो पत्नी सरादीन जाति मुसलमान निवासी देदासरी तहसील बाप जिला फलोदी
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 28.4170 हैक्टेयर राजस्व ग्राम दुर्जनी पटवार क्षेत्र देदासरी तहसील बाप में स्थित है जिसको आगे के पदों में **विवादग्रस्त भूमि** के नाम से सम्बोधित किया जाएगा जिसकी जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। खसरा नम्बर 386 रकबा 28.4170 हैक्टेयर भूमि ग्राम दुर्जनी के सम्पूर्ण रकबे में से प्रार्थीनी का 4471/168528 हाक हिस्सा आता है एवं वादग्रस्त भूमि के सम्पूर्ण रकबे में से अप्रार्थी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/64 हिस्सा, अप्रार्थी 4 का 400/3511 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 24827/337056 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 382/3511 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 का 1/64 हिस्सा, अप्रार्थी संखय 8 का 1/8 हिस्सा बंट में आता है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार के साथ प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मूल खातेदार से उक्त भूमि खरीद की है खरीद के पश्चात प्रार्थीनी

16/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादग्रस्त भूमि पर काबिज एवं काश्त करती आ रही है। वक्त बेचान प्रार्थीनी को वादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में लम्बाई में अपना 4471/168528 हिस्सा खरीद कर वहां पर काबिज है जिस पर आज भी निरन्तर कब्जा व काश्त कर रही है। अप्रार्थीगण बंटवाड़ा करने से इन्कार हो जाने पर प्रार्थीनी कारण उत्पन्न होने उक्त दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितयों के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीनी का बखूबी प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी निश्चित रूप से प्रार्थीनी को ही होगी क्योकि अप्रार्थीगण प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है अगर अप्रार्थीगण अपने उद्वेश्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी को ना पुरा करने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपये पैसों में नहीं आकी जा सकती है। इसलिये प्रार्थीनी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम दुर्जनी पटवार हल्का देदासरी के खाता संख्या 262 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी और अप्रार्थीगण का अधिकार है यद्यपि प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के अभिलिखित काश्तकार होने के कारण अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग व उपभोग का अधिकार है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सहकाश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग, बैक ऋण और हक व हिस्से की हदतक बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

([illegible] पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)